we have been pursuing the matter quite vigorously. The Punjab Chief Mini ster met me some time back and his response to the present issue was quite positive. We have requested the Ministry of Irrigation to take up the matters with the Governments of Punjab and Himachal Pradesh and the Secretary, Irrigrtion Department is taking a meeting on the 15th of this month to settle the dispute, because it primarily concerns the Ministry of Irrigation. I would like to assure the House that since we are also equally concerned because there has been a lot of investment and just for 100 mt. embankment being not completed, the unit Could not be put into commission. So, we are making every effort to get it done and we hope with tne cooperation of the Governments of Punjab and Himachal Pradesh this issue would be settled amicably.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : The answer (c) of the Minister is as follows :

> "The cost of the project has gone up mainly due to overall escalation in the cost of construction material......"

It is not due to delay. I do not know how he makes this distinction. If you delay it, of course, the price of construction material will go up. I would like to know what is the extent of cost escalation in percentage terms since the original estimate was made ?

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH : The escalation has occurred because of the delay. There is absolutely no doubt about it. The project was cleared by the CEA in December, 1980 at an estimated cost of Rs. 115.58 crores. Now, in December, 1982 the latest revised cost of the project is Rs. 235.19 crores. But the delay has certainly resulted in cost escalation. Naturally, there cannot be any distinction between what has been the escalation in prices and what has been the esclation because of the delay. They are interlinked.

MR. SPEAKER : I think, better do it at the earliest because 45 MW of power will be available and we are short of power.

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH : We are pursuing the matter quite vigorously.

नए पेट्रोल/डीजल पम्पों और गैस एजेन्सियों की स्थापना की योजना

*606 प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले वर्ष देश भर में नए पेट्रोल और डीजल पम्प स्थापित करने तथा नई कुकिंग गैस एजेन्सियां और मिट्टी के तेल के डिपो खोलने की योजना बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) कुल कितने पम्प, एजेन्सियां और डिपो स्थापित किये जाने थे;

(घ) क्या सरकार इस योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PETROLIUM IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI GARGI SHANKAR MISHRA) : (a) to (c). As a part of their programme, the oil companies plan to put up a total of 1549 dealerships/distributorships during 1982-84 all over the country as follows :

Product dealership/ Distributorship	Number
Motor spirit & HSD	621
LPG	608
Kerosene & LDO	320

(d) and (e) Every effort is being made to achieve the target. The new guidelines for the selection of dealerships and distributorships have been announced. New Selection Boards that will make their selections in a thoroughly objective manner have been set up and more will be set up

to deal expeditiously with the very large number of applications that are received so that the target can be achieved.

As many as 1514 distributors and dealers were selected in 1982/83 to remove the backlog that had developed.

प्रो०अजति कुमार मेहता : अध्यक्ष जी, इस प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया है जबकि प्रश्न मैंने हिन्दी में किया था। इसका अर्थ यह नहीं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। कम से कम हिंदी के प्रश्न का हिन्दी में उत्तर देने की शिष्टता तो निभायी गयी होती।

श्री रामावतार शास्त्री : जिस भाषा में पूछा गया है, कम से कम उसमें तो उत्तर देना चाहिए था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : शिव शंकर जी हिन्दी में बोले और माननीय राज्य मंत्री श्री मिश्र अंग्रेजी में, कितनी लज्जा की बात है ?

श्री रामावतार शास्त्री : हिन्दी ऑफिशियल लैंग्वेज है।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : अब हिन्दी में पढ़ देता हूं।

ऊर्जा मंत्रालय के पैट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) अपने कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, तेल कम्पनियों की वर्ष 1982-83 के दौरान देश भर में कुल 1549 डीलरशिपें/डिस्ट्रब्यूटरशिपें स्थापित करने की योजना है जैसाकि नीचे दिया गया है :—

उत्पाद	डीलरशिप/डिस्ट्री-ब्यूटरशिप संख्या
मोटर स्पिरिट और एच.एस.डी.	621
एल. पी. जी.	608
मिट्टी का तेल तथा एल. डी. ओ.	320

(घ) और (ड़) लक्ष्य को प्राप्त करने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं। डीलरशिपों तथा डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन के लिए नए मार्गदर्शी सिद्धान्त घोषित कर दिये गये हैं। नये चयन बोर्डों, जो कि इनका चयन एक भली प्रकार यर्थार्थपूर्ण ढंग से करेंगे, स्थापित कर दिये गये हैं तथा अधिक संख्या में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का शीघ्रता के साथ निपटान करने हेतु और अधिक चयन बोर्डों का गठन किया जायेगा जिससे कि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

बड़ी संख्या में पिछली बकाया संख्या को पूरा करने के लिए 1982-83 में 1514 डिस्ट्रीब्यूटरों तथा डीलरों का चयन किया गया था।

प्रो० अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इस संदर्भ में कितने आवेदन आये थे और उनमें अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति और प्रशिक्षित बेरोजगार स्नातकों के लिए कोई आरक्षण किया गया था ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ? कितने शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के व्यक्तियों को लाइसेंस मिला। साथ ही इस संदर्भ में यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह मालूम है कि शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के नाम पर बहुत से ऐसे लोगों ने भी डीलरशिप और डिस्ट्रिब्यूटरशिप ले ली है जो शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के नहीं हैं ? क्या सरकार को यह मालूम है और क्या उन्होंने इसकी जाँच करायी है ?

श्री गार्गी शंकर मिश्र : संख्या तो अभी नहीं बतला सकता कि कितने आये हैं, लेकिन बहुत आये हैं।...

श्री राम विलास पासवान : फिगर्स तो आपके पास होंगे।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : बहुत आ रहे हैं और रोज आ रहे हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : अभी तक कितने आये हैं, यह तो बता दें।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : माननीय सदस्य को संख्या बाद में बता दूंगा, अभी मेरे पास

नहीं है। लेकिन 25 फीसदी शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन रखा हुआ है। और 1982-83 में पैट्रोलियम, डीजल 163 शैड्यूल्ड कास्ट्स को दिया गया, 84 शैड्यूल्ड ट्राइब्स को दिया गया, 155 ऐजूकैटड अन-ऐमप्लाइड को दिया गया और 90 ओपिन को दिया गया। वैसे ही एल०पी०जी० गैस 120 शैड्यूल्ड कास्ट्स को दिया गया, 46 शैड्यूल्ड ट्राइब्स को दिया गया, 157 अनऐमप्लाइड ग्रैजूएट्स को दिया गया, 102 विकलांगों को दिया गया, 29 फ्रीडम फाइटर्स को दिया गया और 154 ओपिन। यह 1982 से 1984 का है। किरोसिन का 56 शैड्यूल्ड कास्ट्स को दिया गया, 44 शैड्यूल्ड ट्राइब्स को दिया गया, और 82 ऐजूकैटेड अनएमप्लाइड ग्रैजूएट्स को दिया गया······

श्री राम विलास पासवान : हमें परसेंटेज बता दीजिये।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : परसेंटेज 25 है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : आपने दिया कितनों को यह बता दीजिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : जितने लोगों को भी आपने दिया है, कितने आवेदकों में से दिया है यह बता दीजिए।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : 1,550 में जो दिया गया है वही बता रहा हूं, सन् 1982 और 1984 में। किरोसिन का मैं आपको बताता हूं······

श्री राजेश कुमार सिंह : अनुसूचित जाति के लिए जो कोटा निर्धारित किया था उसको आपने कितना पूरा किया है ? पूरा दे दिया है ?

श्री गार्गी शंकर मिश्र : पूरा कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : पूरा हुआ कि नहीं, यह बता दीजिए। भूतपूर्व पैट्रोलियम मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं। इन्होंने 25 परसेंट शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स को दिया था। वर्तमान सरकार ने कितना दिया है यह मैं जानना चाहता हूं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी०शिव शंकर) : जहां तक शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का सवाल है, जितनी भी एजेन्सीज हैं, उनमें से 25 प्रतिशत उनको देनी चाहिए, यह भूल है। यह सही है कि बाज केसिज में कम्पनीज ने उनको ओपन किया था। बहुत से मित्रों ने मेरे पास भी शिकायत भेजी थी।

श्री राम विलास पासवान : मैंने भेजी थी।

श्री पी० शिव शंकर : माननीय सदस्य ने भी कुछ भेजा था।

नतीजा यह है कि मैंने सारी आयल कम्पनीज को यह आदेश दे दिया है कि अगर हमने शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब या किसी और रिजर्वेशन में पहले से रख दिया है, तो उनको किसी किस्म का अधिकार नहीं है कि उस रिजर्वेशन को दूसरी रिजर्वेशन में बदला जाए। यह जरूर है कि कम्पनीज ने मेरे पास यह नोट भेजा कि बाज ऐसे केसिज हैं, जहां शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब के कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, जो कैटेगरी में आते हैं, जो एप्लाई करते हैं। (व्यवधान) ऐसे कैसिज में मैंने यह निर्णय ले लिया है कि यदि कैटेगरी के हिसाब से एडवरटाइजमेंट के बेसिस पर कोई एप्लिकेशन्ज न आती हों, तो आयल कम्पनीज उस एरिया में रहने वाले शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब के तीन चार लोगों के नाम सजेस्ट करें, यह सजेस्ट करे कि उनमें से किनको देना चाहिए, और डायरेक्टली बिना किसी प्रोसीजर के, उनको दे दिया जाए। इस निर्णय की सूचना मैंने कम्पनीज को दी है।

यह जरूर है कि अन्याय हुआ है। मैं नहीं कहता कि 25 प्रतिशत पूरा दिया गया है। बाज जगह उन्होंने ओपन कर दिया है। लेकिन

जब मैंने आदेश दिया है यह करीब पांच महीने पहले की बात है, तब से आज तक कोई डीरिजर्व नहीं हुआ है और न ही होगा।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैंने यह भी पूछा है कि क्या सरकार को यह भी शिकायत मिली है कि शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के नाम पर दूसरे लोगों ने डीलरशिप ले लिया है। मंत्री महोदय ने इसका उत्तर नहीं दिया है।

श्री पी० शिव शंकर : यह सही है। यह एक जैनरेल सवाल भी है। बहुत से केसिज में ऐसा हुआ है। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एम. पी. या एम. एल. ए. यह सर्टिफाई करते हैं कि अमुक व्यक्ति शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, तो हम इस बिना पर चलते हैं कि वे शिड्यूल्ड कास्ट के हैं। अगर कोई खास शिकायत आती है कि सर्टिफिकेट गलत दिया गया है और अमुक व्यक्ति शिड्यूल्ड कास्ट के नहीं हैं, तो उसके बारे में बराबर जाँच की जाती है।

इस किस्म की एजेन्सीज लेने के लिए लागत काफी होती है, इस लिए मुश्किल पड़ रही थी कि बहुत से गरीब भाई-बहनों को यह एजेन्सी नहीं मिल रही थी। मैंने इस बारे में फिनांस मिनिस्टर से बातचीत की और उन्होंने बड़ी उदारता से यह कुबूल कर लिया कि एजेन्ट को जो भी कर्जा दिया जाता है, वह रकम बैंक को वापस देने के बारे में हमारी कम्पनीज गारंटी दें। कम्पनीज वह गारंटी दे रही हैं और जो कमीशन हम एजेन्ट को देते हैं, उसमें से काट कर हम बैंक को डायरेक्टली कर्जा अदा करने के लिए कह रहे हैं, ताकि किसी को पैसे के नाम पर वरतरी न मिले, बल्कि मैरिट्स के नाम पर मिले।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं जानना चाहता हूं कि डीलरशिप तथा डिस्ट्रिब्यूटरशिप का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्या अनुपात रखा गया है, हर डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को कितने कितने कनेक्शन फीड करना है, या उनमें कोई समानता है, यदि नहीं, तो क्यों नहीं और इस विषय में क्या कोई शिकायत मिली है, यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है।

श्री पी० शिव शंकर : 1982-83 की स्कीम में एल पी जी के 608 डिस्ट्रिब्यूटर हैं। उस हिसाब से 231 ऐसे छोटे छोटे शहर हैं, जिनको कवर किया जाएगा।

इन 231 छोटे-छोटे शहरों में से 149 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 50 हजार से कम है। डाइरेक्ट गांवों तक पहुंचना तो मुश्किल है लेकिन फिलहाल यह कोशिश की जा रही है कि 20 हजार की आबादी तक के जो छोटे-छोटे कस्बे हैं, वहां तक हम पहुंच जायें।

प्रो० अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं मिला। जितने कनेक्शन फीड करने हैं उनमें कोई समानता भी है क्या ?

श्री पी० शिव शंकर : ऐसा कोई सन्तुलन नहीं रखा गया है।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, अभी पेट्रोल, डीजल या गैस की एजेन्सीज को देने में इस तरह की व्यवस्था की जाती है कि कहीं का भी कोई आदमी कहीं की भी एजेन्सी ले सकता है, इसको लेकर लोगों में बड़ा असंतोष हो रहा है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि स्थानीय लोगों को ही एजेन्सीज देने के बारे में कोई नीति निर्धारित की गई है ?

श्री पी० शिव शंकर : पहले होता यह था कि एक सूबे का रहने वाला आदमी उस सूबे में किसी जगह भी एप्लाई कर सकता था। उदाहरण के लिए कोई आदमी अमृतसर में है वह वहां से दो सौ मील दूर के लिए एप्लाई करके एजेन्सी ले लेता था, वह खुद वहां पर काम नहीं करता था, बेनामी तरीके से उसको चलाता था। लेकिन अब गाइडलाइन्स में उसको

बदलकर जिले की हदतक कर दिया गया है, उस जिले में रहने वाले को ही दिया जाए। यह निर्णय लिया गया है।

श्री रामावतार शास्त्री : लेकिन जिन्होंने पहले से ही दूसरे जिलों में ले रखा है, उनके बारे में क्या होगा ?

श्री पी० शिव शंकर : जिनको दे दिया गया है, उसमें तो मुश्किल है, लेकिन अगर कोई बेनामी तरीके से चला रहा हो और यह इत्तला आप देंगे तो हम ऐक्शन लेंगे।

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जिले के आदमी को ही लोकल मान लिया है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस बात पर पुनर्विचार करेंगे कि जहां पर दूसरे जिले वालों को लेटर आफ इन्टेन्ट दिया गया है वहाँ पुनः जिले के लोगों को ही मौका दिया जाए ? जैसे मिर्जापुर में गाजियाबाद का कोई व्यक्ति चला गया है तो उसको देखते हुए पुनः वहां के स्थानीय लोगों को ही मौका देने का कष्ट करेंगे ?

श्री पी० शिव शंकर : पिछली गाइड लाइन के तहत अगर एक जिले के आदमी को दूसरे जिले के लिए लेटर आफ इन्टेन्ट मिला है तो उसमें कुछ करना मुश्किल है लेकिन अगर लेटर आफ इन्टेन्ट लेकर बेनामी तरीके से बैठा हुआ है, खुद काम नहीं करता है तो उस मामले में हम ऐक्शन ले सकते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : दूसरी जगह के लोगों को किसकी पैरवी पर दिए गए हैं ?

(व्यवधान)

MR. SPEAKER : Question No. 607 - Shri Krishna Chandra Pandey.

(*Interruptions*)

SHRI H. N. BAHUGUNA : Sir, let him say. (*Interruptions*). Sir, these gentlemen are making all types of allegations. Have I ever spoken to Mr. Shiv Shankar on the allotment of gas agencies ? Ask the minister. If the minister confirms their charge, I go, but if the Minister does not have and now these friends must accept or go.

(*Interruptions*)

PROF. K.K. TEWARY : Sir, a member of Parliament, Shri Bahuguna, has admonished the minister. Can he deny it ?

(*Interruptions*)

SHRI H. N. BAHUGUNA : Sir The allegation is totally illfounded. I make an open challange that if the Minister confirms that I have spoken to him, written to him or pressurised him or obstructed him in any manner with regard to allotment of Gas agency I am willing to go. Otherwise, these people, who are absolutely making irresponsible allegations must go.

(*Interruption*)

PROF, MADHU DANDAVATE : He will go in 1985, Sir.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Shri Krishna Chandra Pandey.

SHRI KRISHNA CHANDRA PANDEY : Question No. 607.

(*Interruptions*)

Application of M/s Pfizer on Protinex

*607. SHRI KRISHNA CHANDRA PANDEY : Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the details of application of M/s Pfizer on Protinex;

(b) whether Protinex is a drug or a food item;

(c) when was it made food item, when a drug and what is its status today;

(d) was any approval given for Protinex under DPCO in 1970 and 1979; and

(e) if so, the details of the approval ?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VASANT SATHE) : (a) There was no application for Protinex as such. The application was